संख्या-27/1514/41-2014-36 यो0/12

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,

पर्यटन,

उ0प्र0, लखनऊ ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ:: दिनांक:: 31 जुलाई, 2014**

विषय: राज्य सेक्टर के अन्तर्गत झांसी में स्थित नारायण बाग के पर्यटन विकास तथा सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-436/6-1-1 (244)/नारायण बाग/2014 दिनांक-26.06.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

(2)- शासनादेश संख्या-2345/41-2012-36 यो0/12, दिनांक-25.03.2013 द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत झांसी में स्थित नारायण बाग के पर्यटन विकास तथा सौन्दर्यीकरण की योजना के लिये कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0-137.13 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा रू0-54.85 लाख की प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु दितीय किश्त के रूप में रू0-82.28 लाख (रूपये बयासी लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यो को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

3- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यो हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

6- योजना का अनुश्रवण नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

श्याम मोहन तिवारी

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसचिव

<u>संख्या-27/1514(1)/41-2014 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, झांसी/जिलाधिकारी, झांसी ।
3. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री/निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री पर्यटन।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
7. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण लि0, झांसी।
9. श्री राजा राम, वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

श्याम मोहन तिवारी

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in